कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 6417 /12–1 देहरादून, दिनांक 14 मई, 2024

सेवा में,

महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–वसन्त विहार,
मकान सं0–171, फेज–I,वसन्त विहार, देहरादून।

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–72 (झाझरा के पास) दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.000 से किमी0 12.00 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./06/67/2023/एफ.सी./04 दिनांक–03.04.2024 तथा नोडल के पत्रांक–2195/12–1, दिनांक 25.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। भारत सरकार एवं नोडल अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण पर एफ0आर0सी0एम0 की बैठक दिनांक 11.03.2024 में चर्चा की गई थी तथा प्रस्ताव में यह पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर–वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परंतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम, 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर–वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम, 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार **'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'in-principal approval' under the Adhiniyam'** अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर–वन भूमि का चयन कर (**KML File, CA Scheme, Maps etc**) प्रेषित करें।

उपरोक्त के साथ–साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक वचन–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित/निर्धारित की जाएग, उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

अतः भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जा सके।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

प्रत्रांकः– /12–1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2195 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 25 अप्रैल, 2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून
पत्रावली संख्या 12-2
पंजीकरण संख्या 10360
दिनांक 07/05/2024

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
दिनांक 30/04/24

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–72 (झाझरा के पास) दिल्ली–देहरादून एक्सप्रैस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड़ का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.00 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0:– **FP/UK/ROAD/140350/2021**

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 67 / 2023 / एफ0सी0 / 04 दिनांक 03.04.2024 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण पर कतिपय बिन्दुओं की सूचना / आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः भारत सरकार द्वारा लगाये गये उपरोक्त ई0डी0एस0 का उत्तर Parivesh Portal पर पार्ट–। एवं पार्ट–।। में यथास्थान संशोधन करने के उपरान्त पार्ट–। एवं पार्ट–।। के अतिरिक्त सूचना (Additional Information) में प्रश्न–उत्तरवार / बिन्दुवार आख्या अपनी पूर्ण संस्तुति के साथ अपलोड़ करते हुये प्रकरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0 12-1
रजिस्टर सं0 11912
दिनांक 30/04/2024

D/man

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

D/Man
3/5/24

संख्याः 2195 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि R-11912/12-1 दि0 01/05/2024
प्र0व0अ0 देहरादून वन प्रभाग
देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के
अनुपालन हेतु प्रेषित

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन संरक्षक

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/67/2023/एफ.सी./04 दिनांकः 03 /04/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (झाझरा के पास) दिल्ली-देहरादून एक्सप्रैस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.000 से किमी0 12.00 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/140350/2021)

सन्दर्भः कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1867/12-1: देहरादून : दिनांक 27-02-2024

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर एफ0आर0सी0एम0 की बैठक दिनांक 11.03.2024 में चर्चा की गई थी तथा प्रस्ताव में यह पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर-वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर-वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'in-principle approval' under the Adhiniyam'। अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर-वन भूमि का चयन कर (KML File, CA Scheme, Maps, etc) प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के साथ-साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित / निर्धारित की जाएगी, उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा ।

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 03-04-2024 11:42:30

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध